सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ *11*, मंगलवार, *शाके* 1946-जुलाई *02*, 2024 *Asadha 11, Tuesday , Saka 1946- July 02, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 11, 2023

संख्या एफ 8(11)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2023/ rajkaj ref/6034730:- राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2080 (वर्ष 2023-24) में फसल खराबे की गई नियमित गिरदावरी की राज्य के समस्त जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न तालिका में अंकित 02 जिलों के आगे लिखेनुसार कुल 238 गांवों में कृषकों की फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने के कारण उक्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेंगे। साथ ही जिला श्रीगंगानगर, अनूपगढ व सिरोही के व्यक्तिगत कृषकों को कृषि आदान अनुदान भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	अभावग्रस्त ग्रामो की संख्या
1	जालोर	आहोर व भादराजून	131
2	नागौर	डेह व सांजू	107
कुल योग			**238**

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

भगवत सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।